

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 29, शुक्रवार, शाके 1948- जून 19, 2026 Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 09, 2026

संख्या प.12(3)नविवि/मूलसागर(जैसलमेर)/2026:-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर की सीमा में अभिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए ग्राम मूलसागर के खसरा संख्या 220/106 रकबा 15.4772 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 223/107 रकबा 17.1575 हैक्टेयर कुल रकबा 32.6347 हैक्टेयर भूमि पर फार्म हाउस स्कीम योजना के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय किया गया है। इस योजना की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:-

1. उत्तर- खसरा संख्या 108 व 109
2. दक्षिण- खसरा संख्या 236/105
3. पूर्व खसरा संख्या 174/202, 174/201, 174/360, 175/237, 175/238, 175 व 175/204
4. पश्चिम खसरा संख्या 219/101, 224/107 व 221/106

उपरोक्त योजना के मौके का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्यदिवस में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 32.6347 हैक्टर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।